प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 82/2025 (अपील सूचना का अधिकार)

Narendra Singhvi Add: 66-K, Singhvi House, first floor, inside Saheliyon ki Bari, Udaipur

..............अपीलार्थी

बनामं

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), उदयपुर

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 26/8/25

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329478833875015 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 03.05.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना से संबंधित प्रमाणित प्रतियां चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना अधिप्रमाणित नहीं कर दिये जाने से क्षूब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/89/25/514–15 दिनांक 23.05.2025 तथा ऑनलाईन पत्र क्रमांक 3891015965 दिनांक 23.05.2025, 9685246613 दिनांक 20.06.2025 एवं 8944663684 दिनांक 02.07.2025 से लिखा गया। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपील में ना तो कोई प्रत्युतर प्रेषित किया गया ना ही उनके प्रतिनिधि सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए।

प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा परिकथन किया गया है कि लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), उदयपुर द्वारा जो सूचना उपलब्ध करवाई गई है उसे अधिप्रमाणित नहीं किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा दिनांक 21.05.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), उदयपुर से सूचना प्राप्त कर ली गई है परन्तु सूचना अधिप्रमाणित नहीं है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा नियमानुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की सील/मोहर लगाकर अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है, ऐसी स्थिति में पत्रावली पर अन्य कोई कार्यवाही की जाने की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/8/25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर